राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 02 (04594) खा.वि./स्था.प्र./2026 जयपुर, दिनांकः– हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

कार्मिक (क–4/2) विभाग की अ0शा0 टीप क्रमांक प. 9 (80) कार्मिक/क–4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2023 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर एवं विभागीय सेवा नियम राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के नियम 6 (1) एवं अध्याय–iv के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक की सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षाधीन प्रवर्तन निरीक्षक के रूप में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं।

इस आदेश द्वारा नियुक्त प्रवर्तन निरीक्षक दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 बजे से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय, कमरा न. 7026 भू–तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर पर अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे :–

S. NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	DOB	QUOTA
1.	359	1118293	KANARAM	BC	01-01-2003	GM-AG
2.	387	1113209	SUNNY YADAV	BC,RG	25-12-1998	GM-AG
3.	407	1107147	VIJAY SINGH YADAV	BC	10-06-1996	GM-AG
4.	416	1106513	PUSHPENDRA KASHYAP	BC	31-12-1988	GM-AG
5.	423	1104627	SANJEEV KUMAR	BC	31-12-1994	GM-AG
6.	433	1100328	AAKASH SAINI	BC,NG,RG	24-06-1997	GM-AG
7.	437	1118941	SHUBHAM NAGAR	GE	22-05-1995	GM-QT
8.	442	1120298	RAM LAL SUTHAR	BC	28-02-2002	GM-AG
9.	463	1108727	VIKRAM ESHRWAL	GE,RG	25-01-1995	GM-QT
10.	465	1103340	RAVINA KUMARI	BC,WE	01-01-1998	GF-AG
11.	466	1103586	DAMODAR PAREEK	GE,RG	01-11-2000	GM-QT
12.	468	1103569	DEVENDRA KUMAR	BC	12-08-1987	GM-AG
13.	470	1118078	SANDEEP RATHORE	BC	09-05-1992	GM-AG
14.	472	1101663	RAJKUMAR MALI	BC	19-12-1992	GM-AG
15.	479	1108658	DINESH CHAND SAINI	BC	06-07-1993	GM-AG
16.	485	1101101	RAMDEV DUDI	BC,ME,RG	15-09-1998	OM-QT
17.	491	1102111	RAMESH CHOUDHARY	BC,ME,RG	03-04-1994	OM-QT
18.	492	1105270	JAYSHREE SHARMA	GE,WE	16-06-1995	GF-QT
19.	509	1101923	BALRAM SHARMA	EWS	07-07-1997	EM-QT

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21172433

eSign 1.0

S. NO.	MERIT NO.	ROLL NO.	NAME	CATEGORY	DOB	QUOTA
20.	510	1108387	POOJA UPADHYAY	GE,WE	14-03-1998	GF-QT
21.	513	1100074	RAMDAYAL CHOUDHARY	BC	01-07-2000	OM-QT
22.	522	1115937	SEJAL KUNWER	GE,WE	25-12-1998	GF-QT
23.	523	1104867	ANAND CHHIMPA	BC	06-05-2002	OM-QT
24.	526	1101646	MAHENDRA PAL TANWAR	BC	01-01-1996	OM-QT
25.	528	1107351	SONIYA CHOUDHARY	BC,WE	23-12-1996	OF-QT
26.	546	1105763	EKTA GAHALAWAT	BC,WE	09-01-1999	OF-QT
27.	575	1105334	ATUL GOYAL	EWS	08-02-1993	EM-QT
28.	588	1119285	ARPIT PORWAL	EWS	05-11-1997	EM-QT
29.	637	1116854	SHARWAN SINGH RAJPUROHIT	EWS	05-04-2001	EM-QT
30.	686	1104755	PRIYA SHARMA	EWS,WE	01-07-2000	EF-QT
31.	1014	1118105	PRAGA RAM	MB,RG	10-07-1997	MM-QT
32.	1267	1110840	MANISHA GURJAR	MB,WE,RG	20-05-1998	MF-QT
33.	1306	1104834	DUSHYANT KUMAR MEENA	ST	01-12-1997	TM-QT
34.	1454	1112328	VIJAYLAXMI	BC,WE,DV,NG,RG	19-10-1992	GA-DV
35.	1543	1109453	SHANKAR SINGH SHEKHAWAT	EWS,EX	29-12-1989	GA-EX
36.	1548	1111077	BHUPENDRA SINGH	SC	10-10-1994	CM-QT
37.	1581	1100763	SUSHEEL KUMAR	BC,EX	10-04-1994	GA-EX
38.	1625	1100496	SHWETA JANAGAL	SC,WE	03-03-1999	CF-QT
39.	1664	1100662	MAHIPAL SINGH RATHORE	GE,EX	25-03-1984	GM-EX
40.	1704	1104035	UDAYPAL YADAV	BC,EX	05-01-1989	OM-EX
41.	1734	1108986	ANOOP KUMAR GARHWAL	BC,LD,RG	15-02-1993	OM-LD
42.	1948	1118917	NIDHI RAJAWAT	GE,WE,BL	03-07-1996	GF-BL
43.	1950	1114638	KAVITA PRAJAPAT	BC,WE,WD	07-07-1998	GA-WD
44.	1954	1112084	REENA SHARMA	GE,WE,WD,RG	12-08-1981	GF-WD
45.	1964	1112538	SUNITHA	BC,WE,WD,RG	08-02-1986	OF-WD
46.	2122	1102135	ASHA MEGHAVANSHI	SC,WE,WD	01-04-1998	CF-WD

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

1. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन) Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानो से प्राप्त नही हुआ है, उनकी नियुक्ति सभी स्थानो से चरित्र सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी। बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण के पूर्व उनके द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि उनके विरूद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नही है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन / लम्बित नहीं है एवं ना ही उन्हें पूर्व में न्यायालय द्वारा दण्डित / राजीनामा / दोषमुक्त किया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन / दण्ड/राजीनामा/दोषमुक्त/एफ.आई.आर आदि का शपथ पत्र में उल्लेख किया जाता है, तो कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 अनुसार नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाए जाने की स्थिति में उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी एवं नियमानुसार आपराधिक / विधिक. कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। पुलिस सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उनकी नाम के आगे प्रोविजनल लिखते हुए नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।

3. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्यधीन रहेगी।

4. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प 14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV Rule No&16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं राजस्थान सरकार में पूर्व में सेवारत नियमित वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश कमांक एफ. 12 (5) वित्त/नियम/06 दिनांक 31.08.2006 एवं 28.06.2013 के अनुसार पूर्वानुसार वेतन देय होगा।

5. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा नियम, 1976 एवं (संशोधित) नियम, 2017 के अध्याय IV के उपबन्धो और अपेक्षाओ के अनुसार की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

7\. उक्त नियुक्तियां संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो एवं शर्तों के अध्यधीन है।

8\. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में नियमानुसार विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

09.यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष प्रवर्तन निरीक्षक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

10\. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

11\. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–1 अध्याय 11 में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

12\. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध करवाएंगे।

13\. अभ्यर्थियो को कार्यग्रहण की निर्धारित तिथि को अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से उपलब्ध करवानी होगी।

14\. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/ विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।

15\. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जीवित संतान / संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।

16\. अभ्यर्थी को धूम्रपान, तम्बाकू एवं गुटखे का सेवन नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी।

17\. उक्त अभ्यार्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से 7 दिवस तक रिपोर्ट नहीं करते हैं एवं न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

18. उक्त सभी अभ्यर्थी कार्यग्रहण स्थान पर संलग्न प्रपत्र में सूचना भरकर अपने मूल दस्तावेजो मय फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं अतिरिक्त पासपोर्ट साईज के फोटो के साथ उपस्थित होवे।

19. गर्भवती महिला अभ्यार्थियों के कार्यग्रहण से संबंधित कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1) कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावेगा।

20. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि उनके प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने की दिनांक अथवा विभाग में कार्यग्रहण तिथि से प्रभावी मानी जावेगी।

21. कोई अभ्यर्थी राजकीय / केन्द्रीय/निगम / बोर्ड/स्वायतशासी संस्थान में नियोजित है तो वहां से कार्यमुक्त होकर कार्य मुक्ति आदेश तथा उस विभाग की विभागीय जांच नहीं होने / होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगें।

22. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक 7 (13) कार्मिक/क–2/23 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23. अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम एच.सी.एम. रीपा, जयपुर द्वारा आयोजित करवाया जावेगा। तब तक अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण उपरांत संस्थानिक प्रशिक्षण/अटैचमेन्ट पूर्ण करवाया जावेगा एवं विभागीय कर्त्तव्य के निर्वहन में इनकी सेवाएं ली जा सकेगी। प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश एच.सी.एम. रीपा के वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

24. उक्त सेवा आवंटन आर.ए.एस. परीक्षा–2023 के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर एस बी सिविल रिट याचिका संख्या 5847/2025, 9210/2025, 9092/2025, 9253/2025, 9338/2025, 9595/2025, 3318/2025, 7475/2025, 15003/2025, 15372/2025, 15660/2025, 4167/2026, एवं उक्त परीक्षा के सम्बन्ध में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यधीन रहेगा।

25. अभ्यर्थियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23.03.2026 को प्रातः 09:30 बजे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्यालय, कमरा न. 7026 भू–तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

26. कार्यग्रहण करने के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी श्री सुनील पूनियां उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (दूरभाष न. 0141–2227780 मोबा.न. 9829063023) एवं श्रीमती रेणू मीणा, सहायक आयुक्त (दूरभाष न. 0141–2227277 मोबा.न. 8239999794) से संपर्क किया जावे।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

Signature valid
Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21172433
eSign 1.0

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5 निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
6 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
9 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11 निदेशक, पेशंन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4, अनुभाग–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनकी अ0शा0 टीप क्रमांक 9(80)कार्मिक/क–4/2/2025/29202 दिनांक 19.03.2026 के क्रम में।
13 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14 समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, जयपुर।
15 पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यर्थियों को शासन सचिवालय में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान करने का श्रम करावें।
16 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), खाद्य विभाग, जयपुर को आवश्यक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।
17 एनालिस्ट कम प्रोगामर, खाद्य विभाग, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ एवं संबंधित को ई–मेल करना सुनिश्चित करें।
18 संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री/श्रीमती ....
19 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी।
20 विभागीय स्थापना शाखा (मुख्यालय)/लेखाशाखा (भुतान)/बजट/गोपनीय प्रतिवेदन शाखा/निरीक्षण शाखा।
21 रक्षा पत्रिका।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.03.20 17:02:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21172433
eSign 1.0